रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-10/2019/2021/22-2-2018-17(85)/2008

लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अन्तर्गत इनफरमिटी रोल के स्थान पर भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन संवैधानिक व सम्प्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, वाराणसी** में निरूद्ध सिद्धदोष **बन्दी भरतलाल मौर्य (बन्दी संख्या-40375) पुत्र श्री बहादुर मौर्य, जो-एस-8/314, 3बी खजुरी गोला, थाना-कैण्ट, जनपद-वाराणसी** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-1067/1998** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302** के अधीन **दिनांक 16.11.2000** को **मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, वाराणसी** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की 20 वर्ष 01 माह 26 दिन अपरिहार एवं 26 वर्ष 01 माह 05 दिन सपरिहार काटी गयी सजा, अच्छे जेल आचरण एवं मेडिकल बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-10/2019/2021(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in